नगर निगम शिमला
सार्वजनिक सूचना

नगर निगम शिमला द्वारा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 324 व 327 के अन्तर्गत खाने-पीने की वस्तुओं को छोड़ कर अर्थात नॉन पी० एफ० ए०, भार ढोने वाले श्रमिक, पालतू कुत्ते, साईकिल, साईकिल रिक्शा, प्रैम, तह बाजारी, आउटडोर फोटोग्राफर व अन्य पालतू पशु इत्यादि के पूर्व की भांति वर्ष 2018-19 के लिए लाईसैंस बनाने व नवीनीकरण करने का कार्य दिनांक 11.06.2018 से आरम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि **Grant of Licence for use of Premises and Storage of Articles in a Premises Bye-Laws 2013** के अन्तर्गत नॉन पी० एफ० ए० के व्यवसाय हेतु लाईसैंस पांच वर्ष की अवधि हेतु बनाए जाएंगे। अतः सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने व्यवसायों के लाईसैंसों का नवीनीकरण दिनांक 30.9.2018 से पूर्व बिना किसी जुर्माना के अवश्य करवा लें। सर्व साधारण को यह भी सुचित किया जाता है कि लाईसैंस बनाने/नवीनीकरण करने बारे आवेदन ऑन लाईन ही करने होगें जो नगर निगम शिमला की वेबसाईट **www.shimlamc.org. है** तथा लाईसैंस ऑन लाईन से सम्बन्धित साईट **Emerging Himachal.HP.gov.in हैं।**

अधिक जानकारी के लिए अधीक्षक सम्पदा से दुरभाष न0-0177-2802779 पर सम्पर्क करें।

सामान्य शर्ते

1. नॉन पी० एफ० ए० के व्यवसायों के लाईसैंस 11.06.2018 से 30.9.2018 तक पांच वर्ष की अवधि हेतु एक मुश्त फीस लेकर बिना जुर्माना लाइसैन्सो का नवीनीकरण/नये बनाये जाने वाले व अन्य लाईसैंस पूर्व की भांति एक वर्ष की अवधि हेतु बनाए जाऐंगे।

2. जिन व्यवसायियों ने पिछले लाईसैंस नहीं बनवाये/नवीनीकरण नहीं करवाया है उनसे पूर्व की भांति गत वर्षो की लाईसैंस फीस निर्धारित जुर्माना राशि सहित वसूल करके आगामी अवधि हेतु बनाए जाएंगे।

3. लाईसैंस फीस को निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि :-

	जुर्माना राशि
(i) एक माह तक	50 प्रतिशत
(ii) दूसरे माह तक	75 प्रतिशत
(iii) तीसरे माह से वित्तीय वर्ष के अन्त तक	100 प्रतिशत

चालू वष को छोड़कर अर्थात जिन्होने लाईसैंसों का नवीनीकरण नहीं करवाया:-

(i) पिछले एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत

(ii) पिछले दो वर्षो के लिए 125 प्रतिशत

(iii) पिछले तीन वर्षो या उससे अधिक के लिए 150 प्रतिशत

1. लाईसैंस फीस की निगम द्वारा निर्धारित दरें :-

(केवल दुकानों स्टॉलों के स्टोर सहित) — लाईसैंस फीस

(i) 0से 125 वर्गफुट तक के क्षेत्रफल के लिए — रू0 400/-वार्षिक

(ii) 126 वर्गफुट से ऊपर के क्षेत्रफल के लिए — रू0 600/-वार्षिक

(iii) अन्य जैसे होटल,लांजिग हाउस, गैस्ट हाउस, गैस कम्पनी, कोल कम्पनी, डिपार्टमैन्टल स्टोर,प्राईवेट स्कूल अन्य प्रशिक्षण केन्द्र, स्केटिंग रिंक (आईस/रोलर)सिनेमा,थियेटर आउट डोर शूटिंग,आउट डोर फोटोग्राफी, मोटर वर्क शॉप,पैट्रोल पम्प, टैन्ट हाउस,ट्रैवल एजेन्सी, लेबोरेटरी, क्लीनिक सर्कस व अन्य के लिए — रू01000/- वार्षिक

2. कई व्यवसायियों द्वारा नॉन पी0एफ0ए0 के लाईसैन्स की फीस जमा करवाई जाती है जबकि वे पी0एफ0ए0 की आईटमें (खाने पीने की वस्तुयें) भी बेचते हैं इस स्थिति में यदि फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अम्ल मं लाई जाती है तो उसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. लाईसैंस बनाने से पूर्व जिन व्यवसायों से अग्निशमन प्रमाण–पत्र अपेक्षित है तथा लॉजिंग हाउस के लाईसैंस हेतु व्यवसायियों को अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र,पर्यटन विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा एक शपथ पत्र कि वह लॉजिंग हाउस में कोई खाने पीने की वस्तु न बनाता है न ही खिलाता है, प्रस्तुत करने होंगे।

अतः सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वह अपने–अपने व्यवसायों के लाईसैंस दिनांक 30.9.2018 से पूर्व बनवा लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् लाईसैंस जुर्माना राशि लेकर जारी किए जाएंगे और लाईसैंस न प्राप्त करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध चालान पेश किये जाएंगे।

आयुक्त,

नगर निगम शिमला।